न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–58 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–705 / 2025
अंतर्गत धारा–74, 78, 352, 351(2), 3(5) बीएनएस

19.03.2026 याचिकाकर्ता 1. गोविंदा उर्फ गोविंद कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 16.01.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–74, 78, 352, 351(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 705 / 2025, दिनांक 22.12.2025, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुई है। आवेदक के विरूद्ध अंतर्गत धारा–74 एवं 78 आकर्षित नहीं होता है। अन्य सभी आरोपित धाराएं जमानतीय हैं। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका–सुलेखा देवी हैं, जिनका कहना है कि उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम–सोनाली कुमारी और अस्मिता कुमारी है। वे अपने गांव से बख्तियारपुर पढ़ने जाती है तब उन्हें गोविंदा और उनके कुछ अज्ञात दोस्त दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जब वह मना करती हैं तो घर में घुसकर जबर्दस्ती करने की धमकी देता है और दो–बार उनलोगों ने घर पर आकर पत्थर भी फेंका है, जब मना किया गया तो थप्पड़ से मारा और कट्टा दिखाकर जान मारने की धमकी दिया। जिससे सूचिका की दोनों लड़कियां डरी और सहमी हुई है और उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादिनी का पुनः, ब्यान है जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार कंडिका–6 में साक्षी–अखिलेश साव का ब्यान है उनका भी कहना है कि आवेदक उनकी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है और मना करने पर जान मारने की धमकी देता है तथा घर में पत्थर फेंकता है। कंडिका–27 में सोनाली कुमारी का ब्यान है उनका कहना है कि आवेदक–गोविंदा अपने कुछ अज्ञात दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करता है और जब मना करती हूँ तो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तथा कहता है कि बात नहीं करोगी तो तुम्हार घर

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–58/2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–705/2025
अंतर्गत धारा–74, 78, 352, 351(2), 3(5) बीएनएस

लगातार

19.03.2026

आ जायेंगे और जान मारने की धमकी देता है। इसी प्रकार कंडिका–28 में अस्मिता कुमारी का ब्यान है इनका भी कहना है कि आवेदक उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसकी बहन सोनाली कुमारी से बात कराने के लिए कहता है मना करने पर घर से उठा लेने एवं जान मारने की धमकी देता है। कांड दैनिकी के कंडिका–34 के अनुसार पीड़िता–सोनाली कुमारी की उम्र–लगभग 17 वर्ष और अस्मिता कुमारी की उम्र लगभग–16 वर्ष बताया गया है।

उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्त के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल जाने वाले उन दोनों लड़कियों के साथ छेड़खानी और परेशान किया जाता है एवं मना करने पर उन्हें घर से उठा लेने की धमकी देता है और साथ ही जान मारने की भी धमकी देता है जिससे उनमें भय है तथा उनकी पढ़ाई बाधित है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए को आवेदक अभियुक्त–1. गोविंदा उर्फ गोविंद कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित/शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़